जनपद - संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनॉक 29-08-2020

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किए गये सराहनीय कार्यों का विवरण

घर मे घुसकर छेड़छाड़ व मारपीट करने तथा जान माल की धमकी देने के मामले मे वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 491/20 धारा 147/149/323/504/506/354(ख)/452 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट मे वांछित अभियुक्त नाम पता ओसामा पुत्र अबुशाद निवासी पौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 11.08.2020 को वादिनी के घर में घुसकर लाठी – डन्डा से मार पीट की गयी व वादनी से अभद्रता करते हुए कपडे फाड़ दिए गये जिसके सम्बन्ध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें आज दिनांक 29.08.2020 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मालले में वाछिंत अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 497/20 धारा 354(क)/ 354(ख) /294/506 भा0द0वि0 व 7/8 पाक्सो एक्ट में वाँछित अभियुक्त नाम पता अरविन्द मौर्या पुत्र रामचन्दर मौर्या निवासी कैलाश नगर एग्रो कालोनी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.08.2020 को वादी की पुत्री के साथ अश्लील गाने गाते हुए छेड़छाड की गयी थी जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था जिसमें आज दिनांक 29.08.2020 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

वारण्टी

थाना धनघटा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता अतीक अहमद पुत्र पतई बेल्दार निवासी भरवल पर्वता थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान चलाकर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब की विक्री कर रहे 0 2 अभियुक्त नाम पता 1- लालचन्द पुत्र रामसुभग निवासी रिगौली थाना

कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर 2- कोइल यादव पुत्र सोमई यादव निवासी पश्चिम टोला थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-05 ली0 (कुल 15 लीटर) अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 236/2020 व 237/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा दो पक्षों में विवाद को कराया गया शान्त – पीआरवी 1495 को थाना मेंहदावल क्षेत्रान्तर्गत तुलसीपुर से इवेन्ट संख्या 08637 से कालर नें किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट होने के संबन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल 05 मिनट में घटनास्थल पर पहुँचकर विवाद को शान्त कराकर दोनो पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना मेंहदावल के सुपुर्द किया गया। पीआवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहले पहुचकर समय से पहुंचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।।

पीआरवी स्टाफ – मु0आ0 मन्जुर हसन, मु0आ0 प्रभुनाथ राय, हो0चा0 पंकज मिश्रा।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 27 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना दुधारा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 08 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी में 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 143 वाहनो से 144900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 29-08-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 143 वाहनो से 144900 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।